राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – राजपाल यादव, आर.ए.एस.

मुकदमा नंम्बर– 149/2015

1. पितराम पुत्र मालाराम उम्र 60 साल
2. जीवण पुत्र माडूराम उम्र 35 साल
3. रामनिवास पुत्र जगमाल उम्र 45 साल
4. नानड़ पुत्र जगमाल उम्र 42 साल
5. इन्द्राज पुत्र जगमाल उम्र 40 साल
6. गोकुल पुत्र जसुराम उम्र 38 साल
7. रामेश्वर पुत्र जसुराम उम्र 35 साल
8. मनीराम पुत्र प्रकाश पोत्र जस्सु उम्र 25 साल
9. राकेश पुत्र प्रकाश पोत्र जसु उम्र 22 साल
10. भागीरथ पुत्र गंगुराम उम्र 60 साल

जाति गुर्जर निवासी श्यामपुरा तहसील खेतड़ी, जिला झुझुनूं (राज.)

.... वादीगण

ब–ना–म

1. भाती पत्नी मालाराम उम्र 70 साल
2. रामजीलाल पुत्र मालाराम उम्र 45 साल
3. छगन पुत्र मालाराम उम्र 42 साल
4. हजारी पुत्र मालाराम उम्र 40 साल
5. धनशी पुत्र मालाराम उम्र 38 साल

   जाति गुर्जर निवासी श्यामपुरा तहसील खेतड़ी, जिला झुझुनूं (राज)

6. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.)
7. झुंझुनूं सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड झुंझुनूं शाखा खेतड़ी जरिये मैनेजर झु.स. भ.वि. बैंक लि. झुंझुनूं।

..........प्रतिवादीगण

दावा– घोषणात्मक, खाता विभाजन एवं रिकार्ड दुरूस्ती

निर्णय **दिनांक 16–04–2021**

वादीगण की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है वाके ग्राम श्यामपुरा स्थित भूमि खाता जमाबन्दी सम्वत् 2069 लगायत 2072 के खाता नम्बर 69 खसरा नम्बर 709 रकबा 0.13 हैक्टर, खसरा नम्बर 711 रकबा 0.23 हैक्टर, खसरा नम्बर 712 रकबा 0.28 हैक्टर, खसरा नम्बर 713 रकबा 0.08 हैक्टर, खसरा नम्बर 716 रकबा 0.31 हैक्टर, खसरा नम्बर 717 रकबा 0.08 हैक्टर, खसरा नम्बर 718 रकबा 0.32 हैक्टर, खसरा नम्बर 719 रकबा 0.40 हैक्टर, खसरा नम्बर 721 रकबा 0.41 हैक्टर कुल 9 किता रकबा 2.36 हैक्टर लगानी 52.38 रुपया सालाना व खाता संख्या 47 के खसरा नम्बर 658 रकबा 1.45 हैक्टर, खसरा नम्बर 660 रकबा [illegible] हैक्टर, खसरा नम्बर 661 रकबा 0.38 हैक्टर, खसरा नम्बर 663 रकबा 1.43 हैक्टर, खसरा नम्बर 668 रकबा 0.29 हैक्टर, खसरा नम्बर 677 रकबा 0.56 हैक्टर कुल किता 6 कुल रकबा 4.64 हैक्टर में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 सुयक्त खातेदार काश्तकार हैं। वादी संख्या 1 के पिता का नाम रिकार्ड में मंगलिया दर्ज कर रखा है जो वास्तविक नाम मालाराम है। [illegible] पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajpal Yadav
Date: 2021.04.30 16:43:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

मंगलीया नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, जबकि माडू पुत्र गंगु है तथा माडू का देहान्त हो गया उसका वारिश वादी संख्या 2 है। जहां गलती से रिकार्ड में मंगलिया दर्ज है वहां उसके स्थान पर गंगु दर्ज होना चाहिए तथा गंगाराम का हिस्से में वादी संख्या 3 लगायत 10 है तथा माला पुत्र जोधा, जमना के हिस्से पर वादी संख्या 1 व 2 दर्ज होना चाहिए। वादी एवं प्रतिवादीगण का खाता संयुक्त रहने से काश्त करते समय लगान अदा करते समय हमेशा झंझट रहता है। अतः खाता विभाजन के लिए वादीगण ने करीब 15 रोज पूर्व प्रतिवादीगण को कहा तो वे साफ ईन्कार हो गये। अतः दावा करना आवश्यक हुआ। उक्त भूमि के रिकार्ड में कई नाम गलत दर्ज है इनको दुरूस्त करने के लिए करीब 1 माह पूर्व वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 6 के अधीनस्थ कर्मचारियों को कहा तो उन्होने रिकार्ड दुरूस्त करने से मना कर दिया। अतः यह दावा करना भी जरूरी हुआ।

अतः निवेदन है कि –

(क) वाद वादी डिक्री किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 का खाता अलग कर कब्जे के अनुसार उनका अलहेदा खाता कायम कर अलहेदा लगान कायम किया जावे।

(ख) वादी संख्या 1 के पिता मंगलिया का नाम हटाकर उनकी जगह मालाराम तथा माडू की जगह वादी संख्या 3 का नाम तथा वादी संख्या 3 से 10 के पिता व दादा का नाम मंगलिया की गजाय गंगु दर्ज किया जावे। इस प्रकार रिकार्ड दुरूस्त किया जावे।

(ग) गंगाराम पुत्र रामसहाय के हिस्से का वादी संख्या 3 लगायत 10 को तथा माला पुत्र जोधा व जमना के हिस्से पर वादी संख्या 1 व 2 को खातदार घोषित किया जावे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादीगण के बावजूद सम्यक् तामील अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादी की ओर से साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबंदी संवत् 2069–72 खाता सं. 69 व 47 ग्राम श्यामपुरा पेश की गई।

बहस विद्वान अधिवक्ता वादीगण एक पक्षीय सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं वाद पत्र के अभिवचनों का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। राजस्व रिकार्ड में पितराम पुत्र मंगलिया किस प्रकार से दर्ज हुआ इसका वादीगण द्वारा वाद पत्र में कही पर भी उल्लेख नहीं किया गया है तथा न ही कोई राजस्व रिकार्ड इस हेतु पेश किया गया है। माला पुत्र मंगलिया नाम का कोई व्यक्ति नहीं होने व इसके स्थान पर माडू पुत्र गंगु दर्ज किये जाने हेतु कोई भी ठोस दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है। दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में वाद वादीगण साबित नहीं होता है, जिस कारण वाद वादीण खारीज किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

आदेश

अतः वाद वादीगण साबित नहीं होने से खारीज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 16–04–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajpal Yadav
Date: 2021.04.30 16:43:00 IST
Reason: SelfAttested

(राजपाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, खेतड़ी

Scanned with CamScanner